B.A.LL.B. X SEMESTER

Subject : Indian Judicial System

BL-914

Topic: supreme court judges appointment

INDIAN JUDICIAL SYSTEM

- **INDIAN JUDICIARY** - it has three main part supreme court, High court and lower court.
  Supreme court has 5 part and 4 chapters
  High court has 6 part and 5 chapters
  Lower court 6 part and 6 chapter
  R/W -368 (2) proviso
- It means amended by special majority and more than half state rectification.

SUPREME COURT (U/A 124-147)

पूर्व में भारत शासन अधिनियम में इसका नाम संघीय न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है ससंघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक अनिवार्य लक्षण है संघात्मक संविधान के अनुसार यह लक्षण निम्न व्रत हैं

1. सर्वोच्च संविधान
2. लिखित संविधान
3. सरल तथा कठिन
4. संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन
5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

Indepence of judiciary संघात्मक संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तुति भारत के संविधान में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है यदि इस भाग में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती तो सरकार किसी भी समय अपने फायदे प्राप्त करने के लिए संशोधन कर सकती है

शक्तियों का विभाजन विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है सब अंगों को अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्य करने की सीमा इंगित की गई है परंतु जब कोई अंग अपने कार्य का संपादन तरह से नहीं करता तो न्यायपालिका उस विषय पर कानून बनाने का निर्देश प्रदान करता है जैसे ट्रिपल तलाक, सूचना का अधिकार इत्यादि

सर्वोच्च न्यायालय का गठन - सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश मूल संविधान में 7 एवं वर्तमान में 33 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है

विशेष - जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है अपितु संसद विधि बनाकर the number of judge act द्वारा संख्या में वृद्धि की जाती है

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु वेयर एक्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है यह परंपरा रही है कि वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा इस परंपरा को एक बार तोड़ दी दिया गया परंतु आज भी इसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श द्वारा की जाएगी परामर्श शब्द का निर्वाचन किया जाना चाहिए सर्वप्रथम Sankal Chand Seth के मामले में ब्राह्मण शब्द का निर्वाचन किया गया तथा यह न्याय निर्मित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया परामर्श से मानने के लिए राष्ट्रपति वाद्य नहीं है इसके बाद एसपी गुप्ता न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले में भी यह न्याय निर्माण किया गया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उपरोक्त मत उतार दिए गए तथा यह न्याय निर्णय किया गया कि परामर्श का अर्थ कि भारत का राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है परंतु यह परामर्श केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का नहीं है अपितु वह पूर्ण परामर्श भागीदारी प्रक्रिया का पालन करेगा जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे

In re presidential reference के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा चार अन्य न्यायाधीश के सकारात्मक मतों से निर्मित व्यर्थ की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी

इसके पश्चात संविधान में 99 संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को स्थान दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के मामले में 99 संशोधन अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी करने वाला तथा आधारभूत ढांचे सिद्धांत का उल्लंघन बताकर असंवैधानिक घोषित किया गया

इसके उपरांत वर्तमान में पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है अर्थात कॉलेजियम सिस्टम पूर्ण परामर्श भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है

तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी कॉलेजियम सिस्टम की रिपोर्ट पर ही नियुक्ति किया जाएगा इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के संबंधित मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जाएगा 124 (2A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित विवाद का निर्धारण संसद विधि द्वारा बना कर निर्धारण करेगी।

<u>उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित विवाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निस्तारण किया जाएगा</u>

<u>योग्यता सर्वोच्च न्यायालय</u>

1. भारत का नागरिक हो
2. 10 वर्ष का विधि व्यवसाय हो
3. 5 वर्ष तक या अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हो
4. राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विद्वत्ता हो

परंतु भारत में परंपरागत विद्युत तारों की कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक बार नियुक्ति की गई है

- ## <u>Removal of judges in supreme court</u>

124 4 एवं 5 में हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है संसद के एक सदन में प्रस्ताव लाकर उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत तथा दूसरे सदन उसकी जांच करेगा एवं दो तिहाई बहुमत द्वारा पास कर देने पर वह अपने पद से हट जायेगा

विशेष- यह प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए

124 (7) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रहने पर वह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में विधि व्यवसाय पर प्रतिबंधित रहेगा।

For further queries you may reach us via..
E-mail - pcsjsushil@gmail.com
Mob - 7017178215
Dr Sushil Kumar Sharma
Teaching Assistant
ILS, CCSU campus, Meerut